झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022

संतोष कुमार चौधा उर्फ संतोष कुमार चौदा उर्फ संतोष चौहान उर्फ संतोष कुमार चौह उर्फ संतोष कुमार चौध पुत्र राजाराम चौधा उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी रिंग रोड, केदारपुर, अम्बिकापुर, डाकखाना एवं थाना अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. धरमवीर कुमार सिंह पुत्र राम नरेश सिंह, निवासी गोधनपुर, वसुन्धरा बिहार कालोनी, अम्बिकापुर, डाकखाना, अम्बिकापुर, थाना-गांधीनगर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ)।

.... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री आर0एस0 मजमुदार, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
	:	श्री निशांत, अधिवक्ता
	:	सुश्री कुमारी रंजना सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	सुश्री अमृता कुमारी, अपर लोक अभियोजक
उत्तरदाता सं02 के लिए	:	श्री ए0के0 कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता
		सुश्री मौसमी चटर्जी, अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनों पक्षकारों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध यचिका को जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान याचिकाकर्ता तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाने के पश्चात मामले के अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम फार्म से भिन्न याचिकाकर्ता के विरूद्ध लिया गया है तथा उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, पलामू डाल्टनगंज के न्यायालय में लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 का भागीदार है जिसे जिला पलामू के अन्तर्गत जिनजोई सिंचाई स्कीम के विस्तार, प्रत्यावर्तन तथा आधुनिकीकरण के कार्य के निष्पादन हेतु निविदा दिया गया था। यह अभिकथित है कि यद्यपि

उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के पास रू0 3,40,00,000/- के कार्य को पूरा करने का अनुभव प्रमाण पत्र था लेकिन कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन संभाग-I, अम्बिकापुर के कार्यालय द्वारा तात्पर्यित रूप से जारी उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र से प्रदर्शित होता है कि मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 ने रू018,40,00,000/- का काम किया है, अतः यह अभिकथित है कि इसे मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 को उक्त निविदा में भाग लेने के योग्य बनाने के लिए कूटरचना किया गया था तथा तत्पश्चात निविदा मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के पक्ष में दिया गया था तथा काम पूरा होने के बाद उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 को पूरा भुगतान किया गया है। अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान यह मालुम हुआ था कि इत्तिला देने वाला उक्त निविदा में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता तथा उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के अन्य भागीदारों के पास गया था तथा मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के सुसंगत दस्तावेजों को याचिकाकर्ता द्वारा इत्तिला देने वाले को पेन ड्राइव में सौपा गया था तथा इत्तिला देने वाले ने याचिकाकर्ता तथा सह-अभियुक्तगण को आलिप्त करने के आशा से वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा द्वारा इसे दिये गये दस्तावेजों को बदला था तथा अन्तर्वेशन किया था तथा उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 द्वारा किये गये कार्य के धनराशि को रू0 3,40,00,000/- से रू018,40,00,000/- में बदला था। पुलिस ने मामले का अन्वेषण करने के बाद अंतिम फार्म प्रस्तुत किया था तथा याचिकाकर्ता तथा उक्त मामले के सह अभियुक्त को इनके विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में विचारण हेतु नही भेजा था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 31.01.2022 द्वारा संप्रेक्षित किया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा ने मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के दस्तावेजों को सौंपा था तथा वह मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 को आबंटित कार्य का लाभार्थी है तथा यह विचारण का विषय है कि किसने दस्तावेज को गढ़ा है लेकिन अभियुक्तगण का आचरण आशंका पैदा करता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला जुटाने के लिए आगे बढ़ा तथा वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्ता के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया था।

4. श्री आर0एस0 मजूमदार-याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 में एकमात्र सक्रिय भागीदार है तथा आपराधिक विविध याचिका सं0 1003 वर्ष 2022 का

याचिकाकर्ता सं0 1 अर्थात संध्या चौधा वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा की पत्नी है तथा वह एकमात्र निष्क्रिय साझेदार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इत्तिला देने वाले ने वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा के विश्वास का लाभ उठाते हुए कुछ कागजों का छल साधन आनलाइन निविदा प्रस्तुत किया था एवं स्वयं को कपटपूर्वक उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के प्रबन्धक के रूप में प्रदर्शित किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि इत्तिला देने वाले/परिवादी के अवैध क्रियाकलाप के कारण क्योंकि इत्तिला देने वाले/परिवादी ने मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के भारी भरकम धनराशि का दुर्विनियोग किया है; कुछ आरंभिक कार्य के वाद इसे 30.06.2017 से काम से हटा दिया गया था। तत्पश्चात इत्तिला देने वाले ने रू0 50,00,000/- के उद्दापन की मांग किया था। इसके बाद यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने मामले का अन्वेषण करने के बाद अंतिम फार्म सं0 121 वर्ष 2020 दिनांक 31.10.2020 प्रस्तुत किया था तथा नोटिस दिये जाने के बाद इत्तिला देने वाला उपस्थित हुआ था तथा आगे के अन्वेषण हेतु द0प्र0सं0 की धारा 173(8) के अधीन आवेदन दाखिल किया था जिसे भी आदेश दिनांक 12.02.2021 द्वारा अनुज्ञात किया गया था लेकिन आगे के अन्वेषण के बाद भी पुलिस ने पुनः न केवल याचिकाकर्ता तथा सह-अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव का तर्क देते हुए बल्कि यह संकेत करते हुए कि इत्तिला देने वाली की संलिप्तता अन्तर्वेशन के अभिकथित कार्य में पाया गया है अनुपूरक अंतिम फार्म सं0 100 वर्ष 2021 प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात इत्तिला देने वाला उपस्थित हुआ था तथा अभ्यापत्ति याचिका दाखिल किया था। तत्पश्चात, आदेश दिनांक 31.01.2022 द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था तथा याचिकाकर्ता एवं सह-अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिकथन अस्पष्ट है। न तो किसी व्यक्ति ने कहा है न ही अभिलेख में कोई सामग्री है जिससे पता चले कि याचिककर्ता ने किसी दस्तावेज को कूट रचित किया है। तत्पश्चात यह निवेदन किया गया कि किसी सम्पत्ति को परिदत्त करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ छल करने या किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने का किसी सम्पत्ति को अलग करने के लिए बेईमानपूर्वक किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के बारे में याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई अभिकथन नहीं है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध कोई एक नही बनता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी सामग्री के अभाव में जिससे यह पता चले

कि याचिकाकर्ता ने किसी मिथ्या दस्तावेज को रचा है या किसी मिथ्या दस्तावेज का उपयोग असली रूप में किया है, याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 या 468 या 471 के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं बनता है। अतः यह निवेदन किया गया है कि जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 तथा उक्त मामले जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज के न्यायालय में लंबित है से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

6. दूसरी तरफ राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा उत्तरदाता सं0 2 के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 तथा उक्त मामला जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग, पलामू डालटनगज के न्यायालय में लंबित है, से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही का अभिखण्डन तथा अपास्त करने के अनुरोध का जोरदार तरीके से विरोध किया है। उत्तरदाता सं0 2 के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कोई विवाद नहीं है कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन संभाग-I, अम्बिकापुर के कार्यालय द्वारा जारी तात्पर्यित प्रमाण पत्र से रजौटी अनिकत के संबंध में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन संभाग-I, अम्बिकापुर के कार्यालय द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र से प्रमाणित होता है, संविदा धनराशि रू01,840 लाख थी तथा सर्वसम्मति से याचिकाकर्ता इस बात का खण्डन नहीं करता है कि मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 ने इस आशय के निविदा के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि इसने रू018,40,00,000/- का काम किया है। अतः निःसंदेह दस्तावेज की प्रति पेज 35 पर रखा है, जो कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन संभाग-I, अम्बिकापुर के कार्यालय द्वारा जारी तात्पर्यित अनुभव प्रमाण-पत्र है कूटरचित दस्तावेज है। तत्पश्चात यह निवेदन किया है कि चूँकि याचिकाकर्ता उक्त कार्य का लाभार्थी है, अतः एकमात्र उपधारणा से प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता ने कूटरचना किया है। तत्पश्चात् यह निवेदन किया है कि इसलिए जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-। श्रेणी, पलामू डाल्टनगंज द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2022 पारित करने मे तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक

कार्यवाही में कोई अवैधता नहीं की गई है जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-I श्रेणी, पलामू डाल्टनगंज के न्यायालय में लंबित है। अतः यह निवेदन किया गया है कि इस आपराधिक विविध याचिका को किसी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

7. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तीन साक्षीगण अर्थात अशोक कुमार यादव जिसका कथन केस डायरी के पैरा 140 में लेखबद्ध किया गया है, मोहम्मद अनवरी फिरदौसी जिसका कथन केस डायरी के पैरा 141 में लेखबद्ध किया गया है तथा मोहम्मद आलिम जिसका कथन केस डायरी के पैरा-140 में लेखबद्ध किया गया है ने एक स्वर से कहा है कि वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा अपराधिक विविध याचिका सं0 1003 वर्ष 2022 के याचिकाकर्तागण अर्थात संध्या चौधा तथा राजीव चौधा के साथ निविदा पत्र जमा करने के समय पर इत्तिला देने वाले के बारे में नही जानते थे जिसने रू0 3,40,00,000/- के धनराशि का छलसाधन किया है तथा बदला है जैसा अनुभव प्रमाणपत्र में उल्लिखित है तथा वर्तमान मामले में वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा को आलिप्त करने के लिए इसे रू018,40,00,000/- बनाया है। अतः यह सुस्पष्ट है कि अभिलेख में उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य से प्रदर्शित होता है कि इत्तिला देने वाले ने ही कूटरचना किया है। इसलिए, अभिलेख में पूर्णतया ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा का आपराधिक विविध याचिका सं0 1003 वर्ष 2022 के याचिकाकर्तागण अर्थात संध्या चौधा तथा राजीव चौधा किसी तरह से कूटरचना का अपराध करने में या किसी कूटरचित दस्तावेज का उपयोग असली के रूप में करने में संलिप्त है क्योंकि सर्वसम्मति से इत्तिला देने वाले ने निविदा के साथ अनुभव प्रमाणपत्र का दस्तावेज जमा किया था तथा न तो वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा न ही आपराधिक विविध यचिका सं0 1003 वर्ष 2022 के याचिकाकर्तागण अर्थात संध्या चौधा तथा राजीव चौधा ने निविदा दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों को जमा किया था।

8. जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध का संबंध है, किसी व्यक्ति के साथ छल करने या किसी सम्पत्ति को देने के लिए किसी व्यक्ति को बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करने या किसी बहुमूल्य प्रतिभूति के सम्पूर्ण या किसी भाग को बचाने या नष्ट करने के बारे में याचिकाकर्ता के विरूद्ध पूर्णतया कोई अभिकथन नहीं है तथा निर्विवादित रूप से सरकार का विभाग जिसने निविदा चालू किया था, कार्य पूरा होने पर वर्तमान

याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है। निर्विवादित रूप से, धनराशि जिसके लिए कार्य याचिकाकर्ता के कंपनी द्वारा किया गया था, सरकार के संबंधित विभाग द्वारा उक्त कंपनी को संदत्त किया गया है, जिससे प्रदर्शित होता है कि कार्य संतोषजनकपूर्वक पूरा किया गया था। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं बनता है। चूँकि याचिकाकर्ता के विरूद्ध किसी सामग्री के अभाव में, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-पलामू डालटनगंज ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने वाले दोनों अन्य अभियुक्तगण के साथ याचिकाकर्ता के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथमदृष्टया मामला पाया है; अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज के न्यायालय में लंबित है विधि में संघार्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के विरूद्ध इसका जारी रहना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा।

9. तद्नुसार, जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी पलामू डालटनगंज के न्यायालय में लंबित है को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

11. वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के निपटारे के दृष्टिगत, आदेश दिनांक 04.07.2022 द्वारा याचिकाकर्ता को अनुदत्त अंतरिम अनुतोष को निष्प्रभावी किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 5 दिसम्बर, 2023
एएफआर/अनिमेश

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।